# न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 160/2021
GCMS NO. : 2021/357

–: प्रार्थी :– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

**प्रार्थी:**

1. माधूराम पुत्र प्रभुराम जति– मेघवाल निवासी– लिलाम्बा तहसील– रायपुर तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान।

**अप्रार्थीगण:**

1. श्यामलाल पुत्र गोपाराम जति– बावरी निवासी– ठाकरवास, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान।
2. तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।

**राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

तारीख रजू:–06.09.2021

उपस्थितः–

1. श्री चुतराराम भाटी, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रार्थी।

## –:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 30/08/2022

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ठाकरवास पटवार हल्का बिरोल में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 170/3 रकबा 2.4281 हैक्टर किश्म बारानी दोयम की आई हुई है। प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि के पूर्वी दिशा में अप्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बरदृ 170/10 कृषि भूमि आई हुई है तथा अप्रार्थी के खातेदारी के उतर में चिपते ही खसरा नम्बर 171 गैर मुमकिन एक रास्ता जो ग्राम ठाकरवास जाता है जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस से प्रमाणित है प्रार्थी अपने खातेदारी की कृषि भूमि में खड़ाई बुवाई आदि पूर्व में बैलो से व वर्तमान में ट्रेक्टर से आम रास्ता जो ग्राम ठाकरवास जाता से अप्रार्थी की खातेदारी के खेत की पूर्वी मांठ अर्थात आम रास्ते के पश्चिम की तरफ बिना किसी रोक टोक के कदीमी रूप से आते ज़ाते है तथा इस रास्ते प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में पूर्व दिशा में बिन्दू ए, बी, से पश्चिम दिशा में सी, डी, लाल रंग से बताया गया है जिससे होकर अपने खेत में आने जाने के काम में कदीमी लेते आ रहे है प्रार्थी द्वारा बताये जजरी जक्शे में लाल रंग के रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता खेत में आने जाने का नहीं है। प्रार्थी ने अपने नजरी नक्शे में जो रास्ता लाल रंग का बताया है जो शुरू से आज दिन तक मौके [illegible] यम है। जो मौके वक्त उक्त जमीन खरीद से चालू रहा उक्त [illegible] चालू है। जिसका नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शा[illegible] ए से भी है म[illegible] नजरी नक्शा बनाकर प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया ज[illegible] रहा है, जिसको प्र[illegible] पत्र का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:50:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

एक आवश्यक भाग माना जाये। प्रार्थी के खेत में आने जाने व बैल, छकड़ा ट्रेक्टर पशु आदि लाने ले जाने हेतु शुरू से रास्ता चालू हालत में है जिसको प्रार्थी शांति पूर्वक विधि पूर्वक उपयोग उपभोग करते आ रहे है एवं अप्रार्थी ने उक्त रास्ता से आने जाने से प्रार्थी को कभी नहीं रोका। उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में तरमीम नहीं होने से अप्रार्थी की नियत खराब हो गई है जमीन की किमते बढ़ने से अप्रार्थी ने प्रार्थी के उक्त पुराने रास्ते को बन्द करने पर आमादा है एवं दिनांक 05/08/2021 अप्रार्थी ने ऐलानिया कहा कि रास्ते की जमीन हमारी खातेदारी की है इसलिए रास्ता बन्द किया जायेगा तब प्रार्थीगण ने कहा कि हमने उक्त रास्ते की जमीन का प्रतिकर आपको दे देंगे। रास्ता खुला रखा जावे लेकिन अप्रार्थी ने कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। राजस्व रेकर्ड में तरमीम करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ए, बी, से सी, डी, से दर्शित रास्ते से होकर प्रार्थी उसके पहले मूल खातेदार अपने खेतो में आने जाने के लिए काम में लेते आ रहे है, मौके पर रास्ता चालू है वर्तमान में बारिश का मौसम होने से प्रार्थी अपने खेत की खड़ाई बुवाई के लिये ट्रेक्टर लेकर दिनांक 05/08/2021 को जाने पर अप्रार्थी इस रास्ते में बाधा व व्यवधान डाला तथा रोक टोक हुई तब प्रार्थी व अन्य लोगो ने समझाईश की शुरू से दोनों खेतो के मूल खसरा नम्बर 170 ही थे तब खसरा नम्बर 170 के बढ़ा नम्बर लगकर अलग अलग तरमीम होने बाबत केलिमा अप्रार्थी को कहा कि रास्ता बन्द नहीं करें, परन्तु उक्त रास्ते को अप्रार्थी बन्द करने की धमकी दी तथा रास्ता बन्द करने पर आमादा हुऐ यदि अप्रार्थी लाठी व हठधर्मिता से रास्ते को बन्द कर देता है तो प्रार्थी अपने खेत में फसल की बुवाई नहीं करने से आर्थिक नुक्शान भी होगा जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी सूरत में सम्भव नहीं होगी प्रार्थी ने अप्रार्थी को यह भी कहा कि इस रास्ते लेने बाबत मुआवजा की राशि भी देने को तैयार है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार जितनी जमीन रास्ते के रूप में काम आयेगी उतनी जमीन प्रार्थी जमाबन्दी में बतौर रास्ते के दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा नक्शा ट्रेस में रास्ता भी तरमीम किया जावे प्रार्थी रास्ते की भूमि बाबत मुआवजे की राशि भी अप्रार्थी को अदा करने के लिये तैयार है तथा प्रार्थी के खेत में जाने हेतु सबसे निकटत्तम एवं कम दूरी का रास्ता अप्रार्थी के खेत में से ही है जो नक्शे में लाल रंग से दर्शाया है उक्त रास्ता प्रार्थी के खेत में जाने के लिए अत्याधिक आवश्यक हैं। प्रार्थी के खेत में जाने के उक्त रास्ता में अप्रार्थी ने बिना किसी अधिकार के केवल मात्र लाठी के बल पर बन्द करने पर आमादा रास्ता 30 फुट चोड़ाई है जो विधि विरुद्ध होने से खसरा नम्बर 170/10 में में रास्ता को कायम किया जाना जरूरी है, अप्रार्थी को रास्ता की जमीन का प्रतिकर भी नियमानुसार अदा करने के लिए तत्पर है। इ[illegible] अब उक्त रास्ते को अप्रार्थी को बन्द करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी [illegible] प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के तहत पेश किया है जो अन्दर [illegible] है तथा निर्धारित न्याय शुल्क पेश है जो प्रार्थना पत्र श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। अतः प्रार्थना पत्र मय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:50:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

शपथ पत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में बताए गये 30 फुट चौड़ाई में रास्ता को खसरा नम्बर- 170/10 में से प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 170/3 में आने जाने हेतु आवागमन के लिये रास्ता कायम करने का आदेश प्रदान करावें अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में जो रास्ता निकलता है तथा जितनी भूमि कम की जाकर रास्ता कायम किया जावे तथा रास्ते की भूमि का मुआवजा प्रार्थी अप्रार्थी को अदा करने के लिए तैयार है तथा रास्ता को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 को बार बार आवाजें दिलायी गई, बावजूद सम्मन सूचना/तामिली के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही गई।

तहसीलदार जैतारण से सार्वजनिक रास्ता दिये जाने के संबंध में रिपोर्ट न्यायालय हाजा के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2021/946 दिनांक 06.10.2021 द्वारा चाही गई थी, भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण ने अपनी तथ्यात्मक जांचरिपोर्ट पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम ठाकरवास के खसरा नम्बर 170/9 आयी हुई है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार उक्त खसरा नम्बर के कोई रास्ता नहीं लग रहा है। प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतू प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 170/10 में निम्न विकल्प है। मार्क ए से बी जो कि खसरा नम्बर 170/10 में से होकर है जिसकी नम्बाई 270मी. है एवं क्षैत्रफल 270 मी. × 9मी. = 2430 वर्गमी. है। तथा अन्य विकल्प मार्क ए बी ई एफ 240 मी. लम्बाई है जो खसरा नम्बर 170/10 में से होकर जाना है जिसका क्षैत्रफल 240मी.×9मी. = 2160 वर्गमी. है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कृषि कार्य हेतू आने जाने हेतू आवश्यक है। उक्त खसरा नम्बर में आने जाने हेतू प्रस्तावित रास्ता के विकल्प बिन्दू संख्या 1(A) एवं 1(B) है जो कि निकटतम एवं व्यावहारिक है। भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण द्वारा दिनांक 12.08.2022 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम ठाकरवास के खसरा नम्बर 170/3 आयी हुई है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार उक्त खसरा नम्बर के लिये कोई रास्ता नहीं लग रहा है। प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतू प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 17/10 में निम्न विकल्प है:- विकल्प एक मार्क ए बी जो कि खसरा नम्बर 170/10 में से होकर है जिसकी नम्बाई 270मी. है एवं क्षैत्रफल 270 मी. × 9मी. = 2430 वर्गमी. है। विकल्प दो मार्क ए सी जो खसरा नम्बर 170/10 में से होकर जिसकी लम्बाई 240 मी. है जिसका क्षैत्रफल 240मी. × 9मी. = 2160 वर्गमी. है तथा अन्य विकल्प में [illegible] है जो कि खसरा नम्बर 170/12 में से 23मी. × 9मी. [illegible] नम्बर 170/9 में से 175मी. × 9मी. = 1575 वर्गमी. कुल [illegible] 188मी. × 9मी. = 1782 वर्गमीटर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 170/3 में आने जाने हेतू निकटतम एवं व्यावहारिक रास्ता है। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:50:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बहस वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई। बहस समायत कि गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर बहस वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया।

1. प्रार्थीगण खातेदार द्वारा प्रार्थनापत्र में यह अंकित किया है कि ग्राम जैतारण पटवार हल्का जैतारण के खसरा संख्या 170/3 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम तक पहुंच के लिये वर्तमान में कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा संख्या 170/10 भूमि आई हुई है तथा इसके उत्तर दिशा में चिपते ही खसरा नम्बर 171 गैर मुमकिन रास्ता जो ग्राम ढाकरवास जाता है। खसरा नम्बर 170/10 में से प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 170/3 में आने जाने हेतू/आवागमन के लिये रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर तरमीम किया जावें। प्रार्थीगण नियमानुसार शुल्क जमा करवानें के लिये तैयार है।

2. राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है:–

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार है:–

251– क ''अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–

(I) जहां (क)– कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)– कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

(A)– यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)– अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन ... या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:30:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(ii)- जहां-उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(iii)- वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251ए में यह आज्ञापक विधिक प्रावधान है कि खातेदार को अपनी जोत तक पहुंच के लिये पहुंचमार्ग की आत्यंतिक आवश्यकता होने साथ ही कोई भी दूसरा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में निकटतम अभिलिखित रास्ता से न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प को स्वीकार करते हुये सार्वजनिक रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है।

3. प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण से दो बार मौका एवं तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्रथम तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन दिनांक 07.02.2022 के अनुसार मुताबिक भू अभिलेख प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच के लिये कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतू प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 170/10 में निम्न विकल्प है:- मार्क ए से बी जो कि खसरा नम्बर 170/10 में से होकर है जिसकी लम्बाई 270मी. है एवं क्षेत्रफल 270 मी. × 9मी. = 2430 वर्गमी. है तथा अन्य विकल्प मार्क ए बी ई एफ 240 मी. लम्बाई है जो खसरा नम्बर 170/10 में से होकर जाना है जिसका क्षेत्रफल 240मी. × 9मी. = 2160 वर्गमी. है। उक्त खसरा नम्बर में आने जाने हेतू प्रस्तावित रास्ता के विकल्प बिन्दू संख्या 1(A) एवं 1(B) है जो कि निकटतम एवं व्यावहारिक है। अप्रार्थी की आपत्ति पर भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण से प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच के लिये नियमानुसार पुनः जांच करते हुये सभी संभावित विकल्प प्रस्तुत करते हुये पुनः जांच एवं तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करनें के लिये निर्देशित करनें पर भू अभिलेख जैतारण द्वारा दिनांक 12.08.2022 का तैयार एवं प्रेषित नवीनतम जांच प्रतिवेदन के अनुसार वर्तमा[illegible]ार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 170/3 में आ[illegible] उपलब्ध नहीं है। उक्त आराजी तक पहुंच के लिये तीन [illegible] किये गये:-

1. मार्क ए बी जो कि खसरा नम्बर 170/1[illegible] में से होकर है जिसकी नम्बाई 270मी. है एवं क्षेत्रफल 270 मी. × 9मी. = 2430 वर्गमी. है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:30:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

2. मार्क ए सी जो खसरा नम्बर 170/10 में से होकर जिसकी लम्बाई 240 मी. है जिसका क्षैत्रफल 240मी. × 9मी. = 2160 वर्गमी. है।

3. मार्क डी ई जो कि खसरा नम्बर 170/12 में से 23मी. × 9मी. = 207वर्गमी. एवं खसरा नम्बर 170/9 में से 175मी. × 9मी. = 1575 वर्गमी. कुल लम्बाई 188मी. × 9मी. = 1782 वर्गमीटर है।

विकल्प संख्या तीन न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प के रूप में प्रस्तावित है।

4. इस प्रकार भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अंतिम तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन दिनांक 12.08.2022 से स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 170/3 तक पहुंच के लिये न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प खसरा संख्या 170/9 व 170/12 की भूमि में से है लेकिन प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा संख्या 170/9 व 170/12 के खातेदारान् को न तो बतौर पक्षकार संयोजित किया है और न हीं इनसे कोई अनुतोष प्रार्थनापत्र में चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा केवल खसरा संख्या 170/10 के खातेदारान् को ही बतौर पक्षकार संयोजित किया है एवं केवल इन्ही से अनुतोष चाहा गया है, जो कानूनन दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि खसरा संख्या 170/10 से प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र भलींभांति साबित नहीं होने से खारिज/अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

## –:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला)-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/08/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:50:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला)-पाली)